झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक– **13** मार्च, 2018

संख्या– 3/पद–01(ख)–10/2014 का॰– **1825**/ संयुक्त सचिव, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित **श्री मुकुन्द दास**, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक– 594/03, गृह जिला– देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या– 3/पद–01(ख)–10/2014 का॰– **1826**/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत **श्री राजीव नीरज**, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला– खूँटी) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. श्री नीरज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

संख्या– 3/पद–01(ख)–10/2014 का॰– **1827**/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत **श्री संतोष कुमार प्रजापति**, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला– पश्चिमी सिंहभूम) को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. श्री प्रजापति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा मार्च, 2018 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे।

3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एच0 के0 सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 3/पद–01(ख)–10/2014 का0 **1828**/ राँची, दिनांक– **13** मार्च, 2018